[2018] 2 एससीआर 656

हिमाचल प्रदेश राज्य

बनाम

प्रदीप कुमार आदि।

(आपराधिक अपील संख्या 276-277 वर्ष 2018)

16 फरवरी, 2018

[रंजन गोगोई व आर. भानुमति, माननीय न्यायमूर्तिगण]

स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 - धारा 20 सहपठित धारा 29- अंतर्गत दोषसिद्धि - 27.01.2009 को मनाली-कुल्लू रोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर गश्त ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस दल ने एक कार को रुकने का इशारा किया - वाहन रुक गया और एक व्यक्ति कथित तौर पर कार से भाग गया, जबकि आरोपी-प्रतिवादी सं. 1 और 2 कार में बैठे पाए गए। कार से गांजे के मिश्रण से भरा बैग मिला - विचारण न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया और धारा 20 सहपठित धारा 29 के अंतर्गत अपराधों के लिए आरोपी को दोषसिद्ध किया - उच्च न्यायालय ने अपील में दोषसिद्धि के आदेश को इस आधार पर उलट दिया कि अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में स्वतंत्र गवाहों से पूछताछ करने के अपने भार का निर्वहन नहीं किया और प्रतिबंधित वस्तु को फटी हुई हालत में विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिससे इसकी प्रामाणिकता के विषय में गंभीर संदेह उत्पन्न हुआ- निर्धारित किया गया कि स्वतंत्र गवाहों की जांच एक अनिवार्य आवश्यकता नहीं है और इस तरह की गैर-परीक्षा अभियोजन पक्ष के मामले के लिए आवश्यक रूप से घातक नहीं है- वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष के अनुसार, अत्यधिक ठंड के कारण प्रतिबंधित पदार्थों की बरामदगी को देखने के लिए स्वतंत्र गवाह उपलब्ध नहीं थे - पुलिस दल और एफ आरोपी के बीच किसी भी दुश्मनी के अभाव में और बड़ी मात्रा में बरामद किए गए प्रतिबंधित पदार्थ (18.85 किलोग्राम) के संबंध में, इस बात की संभावना नहीं है कि यह प्रतिबंधित पदार्थ आरोपी व्यक्तियों के वाहन में रोपित किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रतिबंधित पार्सल की स्थिति के विषय में, अभियोजन पक्ष के गवाहों ने गवाही दी कि पार्सल अपनी भारी प्रकृति के कारण फटी हुई स्थिति में था और उस तख्त पर कीलें भी थीं जिस पर इसे रखा गया था - उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द किया जाता है और विचारण न्यायालय द्वारा आरोपी-प्रतिवादियों को दोषी ठहराने और सजा सुनाने का आदेश को पुनर्स्थापित किया जाता है।

साक्ष्य - स्वतंत्र गवाह - गैर-परीक्षण - पर चर्चा की गई।

अपीलों को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

कहा: 1.1 स्वतंत्र गवाहों की परीक्षा एक अनिवार्य आवश्यकता नहीं है और इस तरह की गैर-परीक्षा अभियोजन पक्ष के मामले के लिए आवश्यक रूप से घातक नहीं है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वर्तमान मामले में, अत्यधिक ठंड के कारण प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी को देखने के लिए स्वतंत्र गवाह उपलब्ध नहीं थे। तथ्य यह है कि यह घटना 27-01-2009 को शाम लगभग 6.30 बजे हुई थी और वह भी मनाली-कुल्लू रोड पर, स्वतंत्र गवाहों को प्रस्तुत करने में असमर्थता के अभियोजन पक्ष के बयान को विश्वसनीयता प्रदान कर सकती है। पुलिस दल और

आरोपी के बीच किसी भी दुश्मनी के अभाव में और बड़ी मात्रा में बरामद किए गए प्रतिबंधित पदार्थ (18.85 किलोग्राम) को देखते हुए, यह संभावना नहीं है कि आरोपी व्यक्तियों के वाहन में प्रतिबंधित पदार्थ रोपित किया गया था। जहां तक प्रतिबंधित पार्सल की स्थिति का संबंध है, पत्रवाली में उपलब्ध सामग्री से पता चलता है कि उक्त पार्सल को 15-9-2009 को फटी हुई हालत में विचारण न्यायालय में लाया गया था। इस संबंध में अभियोजन पक्ष के गवाहों ने गवाही दी थी कि पार्सल अपनी भारी प्रकृति के कारण फटी हुई स्थिति में था और जिस तख्त पर इसे रखा गया था, उस पर कीलें भी थीं। इस संबंध में, यह भी नोट किया जा सकता है कि प्रतिबंधित पार्सल से नमूने 23-7-2010 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला को भेजे गए थे। प्रयोगशाला में नमूने ले जाने वाले गवाहों (पीडब्ल्यू 12 और 13) को कोई सुझाव नहीं दिया गया था कि प्रतिबंधित पार्सल के साथ छेड़छाड़ की गई थी। पीडब्ल्यू-16, जिसने प्रतिबंधित पदार्थों के नमूनों की रासायनिक जांच की थी, बचाव पक्ष द्वारा पूरी तरह से जिरह की गई थी। उनके साक्ष्य में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि नमूने उनके पास फटे या संदिग्ध हालत में आए थे। जिन आधारों पर उच्च न्यायालय ने आरोपी-प्रतिवादियों की दोषसिद्धि के निष्कर्षों को उलट दिया था, उन्हें स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। [पैरा 6]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 276-277 वर्ष 2018

शिमला में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा क्रमशः सीआरपीसी संख्या 179/2011 और सीआरपीसी संख्या 180/2011 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 02.04.2015 से

अपीलकर्ता के अधिवक्ता डीके ठाकुर, अपर महाधिवक्ता, वरिंदर कुमार शर्मा।

उत्तरदाताओं के अधिवक्ता राबिन मजूमदार, सुश्री अंतिमा बजाज।

न्यायालय का निर्णय माननीय न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, द्वारा सुनाया गया था।

1. अनुमति स्वीकृत।

2. ये अपीलें हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देते हुए की गई हैं, जिसमें आरोपी-प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की धारा 20 के साथ धारा 29 के तहत अपराध करने के आरोप से बरी कर दिया गया है (इसके बाद "एनडीपीएस अधिनियम" के रूप में संदर्भित)। उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने का निर्णय विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज दोषसिद्धि के उलट है, जिसने प्रत्येक अभियुक्त पर 12 साल के कठोर कारावास और 1,50,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। जुर्माना राशि का भुगतान करने में चूक पर, विचारण न्यायालय द्वारा यह आदेश दिया गया था कि आरोपी-प्रतिवादियों को एक वर्ष की और अवधि के लिए कारावास का सामना करना पड़ेगा।

3. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह है कि 27-1-2009 को शाम लगभग 6.30 बजे जब एक पुलिस दल मनाली-कुल्लू मार्ग पर राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर गश्त कर रहा था, एक सफेद रंग की इंडिका कार को रुकने का इशारा किया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वाहन पुलिस दल से लगभग 25 फीट की दूरी पर रुका। एक व्यक्ति कथित तौर पर कार से भाग गया और आरोपी सं. 1 वाहन की पिछली सीट पर बैठा पाया गया, जबकि आरोपी सं. 2 ड्राइवर की सीट पर बैठा पाया गया। अभियोजन पक्ष ने आगे आरोप लगाया कि आरोपी सं. 1 और 2 ने अपने नामों का खुलासा किया और आगे कहा कि भागने वाला व्यक्ति राजबीर सिंह है। अभियोजन पक्ष का यह भी मामला है कि वाहन की तलाशी से पहले पुलिस कांस्टेबलों को

स्थानीय गवाहों को लाने के लिए भेजा गया था, लेकिन वे किसी भी गवाह को लाने में सफल नहीं हुए क्योंकि घटना की तिथि पर कड़ाके की ठंड के कारण, कोई स्वतंत्र व्यक्ति उपलब्ध नहीं था। इसके बाद, पुलिस दल द्वारा कार की तलाशी ली गई और आरोपी सं. 2 के पैरों के पास एक बैग पड़ा मिला, जिसमें लगभग 18.85 किलोग्राम वजन का भांग का मिश्रण पाया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, बरामद प्रतिबंधित पदार्थ से लगभग 25-25 ग्राम के दो नमूने लिए गए और नमूनों को अलग कर सील कर दिया गया। दोनों आरोपी सं. 1 और 2 को गिरफ्तार कर लिया गया और अगले दिन आरोपी सं. 3 को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने जीवन लाल नामक व्यक्ति का नाम उस व्यक्ति के रूप में लिया था, जिससे उन्होंने प्रतिबंधित पदार्थ खरीदा था। जीवन लाल के घर की तलाशी 29.11.2009 को ली गई और एक इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन, भांग के छोटे कणों वाले लिफाफे और ऐसी अन्य सामग्री बरामद की गई। तदनुसार, जीवन लाल (आरोपी सं. 4) को गिरफ्तार किया गया। चारों आरोपियों के विरुद्ध आरोप तय किए गए थे जिन्हें सुनवाई के लिए भेजा गया था। मुकदमे के समापन पर, विचारण न्यायालय ने आरोपी सं. 1 और 2 को दोषी ठहराते हुए और सजा सुनाते हुए, अन्य आरोपी सं. 3 और 4 को बरी कर दिया।

4. व्यथित, अभियुक्त-प्रतिवादियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील योजित किया था।

5. उच्च न्यायालय, जैसा कि आक्षेपित फैसलेनिर्णय से प्रतीत होता है, ने विचार किया कि अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में स्वतंत्र गवाहों से पूछताछ करने के अपने भार का निर्वहन नहीं किया था क्योंकि लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक बाजार स्थित था और आगे जिस स्थान पर कथित तौर पर प्रतिबंधित पदार्थ का पता लगाया गया था और जब्त किया गया था, वह मनाली-कुल्लू रोड पर था जो एक व्यस्त सड़क है जिस पर कई बसें और वाहन चलते हैं। वहीं उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रतिबंधित सामग्री को निचली अदालत के समक्ष फटी हुई हालत में प्रस्तुत किया गया था, जिससे इसकी उत्पत्ति और प्रामाणिकता के बारे में गंभीर संदेह पैदा होता है। उपरोक्त दोहरे निष्कर्षों के आधार पर, अपील को स्वीकार कर लिया गया और आरोपी-प्रतिवादियों की दोषसिद्धि के आदेश को उलट दिया गया।

6. हमने इस मामले पर विचार किया है और पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है। जहां तक अभियोजन पक्ष के मामले के समर्थन में स्वतंत्र गवाहों से पूछताछ का संबंध है, इस संबंध में केवल यह कहना आवश्यक होगा कि स्वतंत्र गवाहों से पूछताछ अनिवार्य आवश्यकता नहीं है और इस तरह की गैर-परीक्षा अभियोजन पक्ष के मामले के लिए आवश्यक रूप से घातक नहीं है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वर्तमान मामले में, अत्यधिक ठंड के कारण प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी को देखने के लिए स्वतंत्र गवाह उपलब्ध नहीं थे। तथ्य यह है कि यह घटना 27-01-2009 को शाम लगभग 6.30 बजे हुई थी और वह भी मनाली-कुल्लू रोड पर, स्वतंत्र गवाहों को प्रस्तुत करने में असमर्थता के अभियोजन पक्ष के बयान को विश्वसनीयता प्रदान कर सकती है। पुलिस दल और आरोपी के बीच किसी भी दुश्मनी के अभाव में और बड़ी मात्रा में बरामद किए गए प्रतिबंधित पदार्थ (18.85 किलोग्राम) को देखते हुए, हमारा विचार है कि यह संभावना नहीं है कि आरोपी व्यक्तियों के वाहन में प्रतिबंधित पदार्थ रोपित किया गया था। जहां तक प्रतिबंधित पार्सल की स्थिति का संबंध है, पत्रवाली में उपलब्ध सामग्री से पता चलता है कि उक्त पार्सल को 15-9-2009 को फटी हुई अवस्था में विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष लाया गया था। इस संबंध में जांच किए गए अभियोजन पक्ष के गवाहों ने गवाही दी थी कि पार्सल अपनी भारी प्रकृति के कारण फटी हुई स्थिति में था और उस तख्त पर कीलों के कारण भी जिस पर इसे रखा गया था। इस संबंध में, यह भी नोट किया जा सकता है कि प्रतिबंधित पार्सल से नमूने 23-7-2010 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला को भेजे गए थे।

प्रयोगशाला में नमूने ले जाने वाले गवाहों (पीडब्ल्यू 12 और 13) को कोई सुझाव नहीं दिया गया कि प्रतिबंधित पार्सल के साथ छेड़छाड़ की गई है। पीडब्ल्यू-16, जिसने प्रतिबंधित पदार्थों के नमूनों की रासायनिक जांच की थी, बचाव पक्ष द्वारा पूरी तरह से जिरह की गई थी। उनके साक्ष्य में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि नमूने उनके पास फटे या संदिग्ध हालत में आए थे। उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि जिन आधारों पर उच्च न्यायालय ने आरोपी-प्रतिवादियों की दोषसिद्धि के निष्कर्षों को उलट दिया है, उन्हें स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

7. इसलिए, उपरोक्त कारणों से, हम आरोपी-प्रतिवादियों को बरी करने के उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हैं और स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 20 सहपठित धारा 29 के अंतर्गत आरोपी-प्रतिवादियों को दोषी ठहराने के विचारण न्यायालय के आदेश को बहाल करते हैं। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दी गई सजा को भी बहाल किया जाता है। अभियुक्त प्रतिवादियों को सजा की शेष अवधि पूरी करने के लिए तुरंत आत्मसमर्पण करना होगा और ऐसा नहीं करने पर उन्हें अभिरक्षा में ले लिया जाए।

8. उपरोक्तानुसार अपील की अनुमति दी जाती है।

अपील स्वीकृत।

अनुवादकर्ता
मणि यज्ञेश त्रिपाठी
अधिवक्ता,
इलाहाबाद उच्च न्यायालय